कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

संख्या– 46110 /दो–380/57ए/खण्ड–4/लाइसेंस/थो0भां0आ0दर/ई–टेण्डर/2019–20/दिनांकः 15 फरवरी, 2019

ई–टेण्डर नोटिस

(वर्ष 2019–20 में भांग की थोक आपूर्ति हेतु ई–टेण्डर)

वर्ष 2019–20 के लिए प्रदेश के मेरठ, देवीपाटन, चित्रकूटधाम, लखनऊ (क) (मात्र जनपद रायबरेली) एवं लखनऊ (ख) (मात्र जनपद लखनऊ) प्रभारों में स्थित बंधित आबकारी गोदामों में भांग की थोक आपूर्ति हेतु टू बिड सिस्टम पर NIC के वेब पोर्टल www.etender.up.nic.in के माध्यम से ई निविदा आमन्त्रित की जाती है। एक टेण्डर फार्म पर अधिकतम दो प्रभारों में स्थित बंधित आबकारी गोदामों के लिए भांग की थोक आपूर्ति हेतु टेण्डर दिया जा सकता है। एक व्यक्ति द्वारा मात्र एक टेण्डर प्रस्तुत किया जा सकता है। **यदि किसी व्यक्ति को पूर्व में एक प्रभार का टेण्डर स्वीकृत हो चुका है तो वह व्यक्ति एक टेण्डर फार्म पर एक ही प्रभार हेतु टेण्डर देने के लिए अर्ह होगा। यदि किसी व्यक्ति को दो प्रभारों का टेण्डर स्वीकृत हो चुका है तो वह टेण्डर देने के लिए अनर्ह होगा।** प्रत्येक ई–टेण्डर के साथ रुपया 10,000/– (दस हजार) की धरोहर धनराशि का शिड्यूल बैंक के ड्राफ्ट/फिक्सड डिपोजिट रसीद/डाकखाने के नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट/पोस्ट आफिस सेविंग बैंक एकाउन्ट, जो आबकारी आयुक्त, उ0 प्र0 के पदनाम से प्लेज्ड (प्रतिश्रुत) हो, के रूप में इसकी पीडीएफ स्कैन्ड फाइल अपलोड की जायेगी तथा उसकी मूलप्रति कैम्प कार्यालय आबकारी आयुक्त, उ0प्र0, प्रथम तल, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भवन, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ में तकनीकी बिड टेण्डर खुलने से पूर्व जमा करनी होगी। ई–टेण्डर में प्रतिभाग करने के लिये आवेदक के पास डिजिटल हस्ताक्षर होना आवश्यक है।

ई–टेण्डर स्वीकृति की सूचना मिलने पर ई–टेण्डर दाता को एक सप्ताह के अन्दर नियमों/शर्तों के यथोचित पालन के लिए जमानत के तौर पर रुपया 25,000/– (पच्चीस हजार) धनराशि की किसी शिड्यूल बैंक से निर्गत सावधि जमा रसीद जो आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पद नाम से प्लेज्ड (प्रतिश्रुत) हो, प्रतिभूति के रूप में जमा कर प्रपत्र आई0डी0–3 में अनुज्ञापन प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा धरोहर धनराशि राज्य के पक्ष में समपहृत कर ली जायेगी। निविदा के साथ निम्न अभिलेखीय प्रमाण भी अपलोड करना अनिवार्य होगा :–

1– निविदादाता द्वारा आर्थिक स्थिति के प्रमाण के रूप में न्यूनतम रुपया 1,00,000/– (एक लाख) का बैलेंस प्रदर्शित करने वाली बैंक या डाकखाने की सेविंग्स एकाउन्ट के पास–बुक की छायाप्रति या सक्षम अधिकारी के स्तर से निर्गत बैंक/डाकखाने के एकाउन्ट स्टेटमेन्ट की प्रति को ई–टेण्डर की वेबसाइट www.etender.up.nic.in पर अपलोड करना होगा।

2– अपने निवास के जनपद के जिलाधिकारी से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र व अदेयता प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।

3– राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ, नाम, पिता का नाम, पता तथा प्रमाणित हस्ताक्षर का विवरण अपलोड करना होगा।

4– रुपया 10/– के स्टैम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र अपलोड करना होगा।

5– धरोहर धनराशि का विवरण (बैंक ड्राफ्ट की छायाप्रति आदि) अपलोड करना होगा।

6– पैन, वर्ष 2017–18 का आयकर रिटर्न, आवेदक के आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति सहित अन्य सुसंगत अभिलेख अपलोड करना होगा।

7– वर्ष 2018–19 के जिन थोक भांग आपूर्तकों को अन्य जनपदों की अतिरिक्त आपूर्ति आवंटित की गयी है, उन्हें सम्बंधित जनपद के जिला आबकारी अधिकारी से इस आशय का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर अपलोड करना होगा कि उनके द्वारा यथानिर्दिष्ट भांग की अतिरिक्त मात्रा की आपूर्ति जनपद को कर दी गयी है, जो संतोषजनक है। अन्यथा की स्थिति में आपूर्तक इस आशय का एक शपथ–पत्र ई–टेण्डर के साथ प्रस्तुत करेगा कि वह यथानिर्दिष्ट अतिरिक्त भांग की आपूर्ति सम्बंधित जनपद को 28 फरवरी, 2019 तक कर देगा।

8– वर्ष 2019–20 के लिए चयनित आवेदक को आई0डी0–3 अनुज्ञापन प्राप्त करने के लिए गत वर्ष/वर्षों में जमा प्रतिभूति को अग्रेनीत नहीं किया जायेगा, अपितु आवेदन पत्र के साथ नई प्रतिभूति धनराशि के रूप में किसी शिड्यूल बैंक से निर्गत रुपया 25,000/–(पच्चीस हजार) की सावधि जमा रसीद अपलोड करना होगा।

ई–टेण्डर से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथियां निम्नवत है–

Tender Publish Date on Website www.etender.up.nic.in	18.02.2019
Documents Download Start Date	18.02.2019
Clarification Start Date	18.02.2019
Clarification End Date	25.02.2019
Documents Download and Submission End Date	25.02.2019 :: 11.00AM
Technical Bid Opening Date	25.02.2019 :: 12.00Noon
Financial Bid Opening Date	25.02.2019 :: 3.00PM

आई0डी0–2 प्रपत्र फाइनेंशियल बिड के अन्तर्गत तथा अन्य समस्त अभिलेख (बिन्दु 1 से 7 के अनुसार) तकनीकी बिड के अन्तर्गत अपलोड किये जायेंगे। अपूर्ण आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होंगे। आबकारी आयुक्त, उ0 प्र0 को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकार अथवा अस्वीकार कर दें।

प्राप्त ई–टेण्डर दिनांक 25–02–2019 को ही मध्याह्न 12.00 बजे निविदादाताओं की उपस्थिति में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी/अधिकारियों के समक्ष कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, कैम्प कार्यालय आबकारी आयुक्त, उ0प्र0, प्रथम तल, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भवन, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ में खोले जायेंगे एवं प्री–बिड कान्फ्रेन्स भी इसी स्थान पर आयोजित होगी।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए थोक भांग आपूर्ति हेतु प्रभारवार, अधिकतम दरें निम्नानुसार निर्धारित की गयी है–

प्रभार का नाम	वर्ष 2019–20 हेतु निर्धारित अधिकतम थोक भांग आपूर्ति दर (रु0 प्रति किलोग्राम)
आगरा, अलीगढ़, झांसी एवं मिर्जापुर प्रभार के जनपदों के लिए	24/–
प्रयागराज एवं चित्रकूटधाम प्रभार के जनपदों के लिए	20/–
प्रदेश के शेष प्रभारों के लिए	19/–

(धीरज साहू)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।